भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 394

05.02.2024 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों द्वारा हमले

394. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना :
कुमारी राम्या हरिदास :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारें कर्नाटक के हासन जिले के सकलेशपुर, बेलुड़ आलुर तालुक में जंगली हाथियों के हमले के कारण होने वाली मौतों को रोकने में विफल रही हैं और यदि हां, तो इस खतरे को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हुई मौतों और उन्हें दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए और पुनर्वासित किए गए हाथियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में वन्यजीवों, विशेषकर तेंदुए, हाथियों, बंदरों, जंगली सूअर आदि द्वारा लोगों पर हमलों के स्थायी समाधान हेतु तत्काल कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश में वन्यजीवों के हमलों के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों, घायलों और उन किसानों को जिनकी फसलें जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दी गई हैं, को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ) कर्नाटक राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, कर्नाटक के हासन जिले के सकलेशपुर, बेलुड़, आलुर तालुक में हाथियों के हमलों के कारण हुई मानव मौतों के ब्यौरे सहित दिए गए मुआवजे का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

जिला, राज्य	**वर्ष**	**मानव मौतों की संख्या**	**दिया गया मुआवज़ा (लाख रुपए में)**
हासन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के सकलेशपुर, आलुर, बेलुड़, तालुक	2020-21	5	37.50
	2021-22	5	37.50
	2022-23	4	30.00
	2023-24	5	75.00

मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) को कम करने और उनके प्रबंधन सहित वन्यजीवों के प्रबंधन का उत्तरदयित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। कर्नाटक सरकार ने मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) कर्नाटक सरकार ने दिनांक 15.12.2022 के आदेश द्वारा जंगली जानवरों के हमले से मरने वाले व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को मुआवजे की राशि 7.50 लाख से बढ़ाकर 15.00 लाख कर दी है।

(ii) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2021-24 तक के दौरान 14 हाथियों को पकड़ा है।

(iii) दिनांक 20.11.2022 को हासन जिले में मानव-हाथी संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए जिला हाथी कार्य बल का गठन किया गया।

(iv) कर्नाटक के हासन जिले के सकलेशपुर बेलुड़, आलुर तालुक में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 9.659 किलोमीटर रेल बैरिकेड और 14.00 किलोमीटर टेंटेकल फेंसिंग पूरी की गई।

(v) संघर्ष को कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में उपद्रव रोधी शिविर और त्वरित कार्रवाई दल गठित किए जाते हैं।

(vi) हाथी कार्य बल का प्रमुख डीसीएफ होते हैं जिनके साथ 01 एसीएफ, 01 आरएफओ, 04 डीवाई आरएफओ, 08 फॉरेस्ट गार्ड और 32 आउट सोर्स वॉचर्स होते हैं।

(vii) हाथी कार्य बल का नियंत्रण कक्ष सकलेशपुर में 24x7 कार्यरत रहता है और आलुर, बेलुड़, सकलेशपुर और येस्लर रेंज से शिकायतें प्राप्त होती हैं और इसके निवारण के लिए तत्काल कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त की गई कॉलों और उनपर की गई कार्रवाई के संबंध में रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं।

(viii) हाथी कार्य बल गांव की सीमा में जंगली हाथियों की आवाजाही की निगरानी कर रहा है और जहां भी जंगली हाथियों की आवाजाही गांव की सीमा में देखी जाती है, उन्हें जंगलों में वापस खदेड़ दिया जाता है।

(ix) हाथी कार्य बल के कर्मचारियों के साथ, रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) नियमित अग्रिम श्रेणी कर्मचारियों,लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं।

(x) हाथियों के आवागमन के बारे में गांवों को जागरूक करने के लिए एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश, माइक से उद्घोषणा आदि भेजकर अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाती हैं। राज्य सरकार के कोष का उपयोग करके अन्य जिलों से हाथियों के आवाजाही को रोकने के लिए आलुर सीमा, डोड्डाबेट्टा वन क्षेत्र में प्रयोग की गई रेलवे पटरियों का उपयोग 20 किलोमीटर से अधिक रेल बैरिकेड्स का निर्माण करने में किया गया है।

(xi) कर्नाटक सरकार कृषिगत फसलों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सौर ऊर्जा बाड़ के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करती है जिसके तहत फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(xii) सार्वजनिक क्षेत्रों, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा किए गए निम्नलिखित उपाय भी मानव-पशु संघर्ष को कम करने में मदद करते हैं :-

(i) केंद्रीय सरकार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास और बाघ और हाथी परियोजना के तहत देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ii) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न अन्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें, जल-स्रोतों में वृद्धि करने, चारे के पौधे लगाने, बांस को फिर से उगाने इत्यादि के द्वारा हाथियों के प्राकृतिक पर्यावासों के सुधार में योगदान देती हैं। ऐसी स्कीम में वन्यजीव पर्यावास और बाघ परियोजना का विकास भी शामिल है। प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में हाथियों सहित वन्यजीव पर्यावासों के विकास, पशु बचाव केंद्रों की स्थापना इत्यादि के लिए भी इस निधि के उपयोग का प्रावधान किया गया है, जिससे मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में योगदान मिलता है।

(iii) फरवरी 2021 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई थी। इस परामर्शिका में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्ष अधिक होने वाले स्थलों की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन, अनुग्रह राहत राशि की मात्रा की समीक्षा करने, त्वरित भुगतान हेतु दिशानिर्देश/अनुदेश जारी करने और मानव मृत्यु या घायल होने के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर अनुग्रह राहत राशि के उचित भाग का भुगतान करने हेतु पर्याप्त निधियों का प्रावधान करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन की अनुशंसा की गई है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 03 जून, 2022 को फसलों को होने वाला नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के प्रबंधन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें वन-सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए अरूचिकर फसलों को कृषि वानिकी मॉडल में वृक्ष/झाड़ियों की प्रजातियों के साथ अच्छी तरह मिश्रित करके उगाने वाली नकदी फसलों जैसे कि मिर्च, नींबू घास, खस घास आदि शामिल हों, को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल उगाने हेतु व्यापक दीर्घकालीन योजना तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना भी सम्मिलित हैं।

(v) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक के परामर्श से एक दस्तावेज नामत: 'रेखीय अवसंरचना के प्रभावों के उपशमन के लिए पारि-हितैषी उपाय' प्रकाशित किया है जिसका उद्देश्य रेलवे लाइनों सहित रेखीय अवंसरचना को इस प्रकार से डिजाइन करने में परियोजना एजेंसियों की सहायता करना है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी हो सके।

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के साथ समन्वय करते हुए भारत में 15 हाथी बहुल राज्यों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने 150 हाथी गलियारों का जमीनी सत्यापन किया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन हाथी गलियारों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए इसके संबंध में सूचित किया गया है।

(vii) दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को संचालन समिति की 16वीं बैठक के दौरान मानव हाथी संघर्ष का प्रबंधन करने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए एक फील्ड मैनुअल जारी किया गया।

(viii) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी स्थिति पर कार्रवाई करने के लिए विनियामक कार्यों के उपबंध हैं।

(ix) मंत्रालय ने 'मानव-हाथी संघर्ष में कमी लाने और मानव-हाथी संघर्षों की समस्या से निपटने के लिए एक सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण अपनाने' हेतु दिशानिर्देश (2023) भी जारी किए हैं।

(x) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में 13-15 मार्च, 2023 को "हाथी रिजर्व के प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने" संबंधी क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई।

(xi) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में 23-25 नवंबर, 2023 को भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए "हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेलवे के प्रभाव को कम करने" संबंधी क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(xii) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में 28-29 नवंबर, 2023 को "हाथी रिजर्व के प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने'' संबंधी क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

****